

## Order Sheet

Case No

105/15

Date of  
Order or  
Proceeding

Order or proceeding with Signature of presiding

Signature of  
Parties or  
Pleaders where  
necessary

9/3/15

आवेदक/आरोपी हरीश नाथ  
की ओर से श्री यजवेन्द्र नाथ  
अधिवक्ता ने एक जमानत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 438/439 जा0फो0  
का पेश किया।

नकल संबंधित थाना प्रभारी की ओर भेजकर केश डायरी मय  
प्रतिवेदन बुलाया जाये/संबंधित अभिलेख बुलाया जावे।

—आवेदन विविध आपराधिक पंजी में दर्ज किया जावे।

प्रकरण केश डायरी प्रतिवेदन/अभिलेख प्राप्ति/तर्क हेतु दिनांक  
15/3/15 को पेश हो।

पो सी आर्य  
विशेष न्यायाधीश (डक) ने  
गोहद जिला- भिण्ड (म.प्र.)

15/03/2017

12:00

T0

12:15 P.m

राज्य द्वारा श्री भगवानसिंह अपर लोक अभियोजक।  
आरोपी/आवेदक संदीप श्रीवास्तव द्वारा श्री यजवेन्द्र  
श्रीवास्तव अधिवक्ता।

थाना गोहद चौराहा से अपराध क्रमांक-13/2017 की  
केस डायरी प्राप्त।

थाना के अपराध क्रमांक-13/2017 धारा-25(1)(क), 27  
आयुध अधिनियम सहपठित धारा-11, 13 डकैती अधिनियम के  
अपराध में आरोपी/आवेदक संदीप श्रीवास्तव की ओर से  
प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. पर  
उभयपक्षों को सुना गया।

आवेदक अधिवक्ता ने आरोपी/आवेदक संदीप श्रीवास्तव  
के प्रथम जमानत आवेदनपत्र होना बताते हुए जमानत पर मुक्त  
किये जाने का निवेदन किया समर्थन में अशोक श्रीवास्तव का  
शपथपत्र पेश किया है। इसलिये आरोपी/आवेदक संदीप  
श्रीवास्तव के प्रथम जमानत आवेदनपत्र मानते हुए उसका  
निराकरण किया जा रहा है।

आरोपी/आवेदक संदीप श्रीवास्तव का कहना है कि

पो सी आर्य  
विशेष न्यायाधीश (डक) ने  
गोहद जिला- भिण्ड (म.प्र.)



पुलिस ने आवेदक को झूठा फंसाया है। उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया। उनका न तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, बल्कि वह शांतिप्रिय व्यक्ति हैं। उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। उसके अधिक समय तक के लिए जेल में रहने से उसका परिवार भूखों मर जायेगा। वह अनुसंधान में पुलिस का सहयोग करेगा तथा वह जमानत की शर्तों का पालन करेगा साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा, उसे उचित प्रतिभूति पर छोड़ने का निवेदन किया।

जबकि ए.जी.पी. का कथन है कि आरोपी/आवेदक संदीप श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कारण संतोषप्रद नहीं है। मामला डकैती अधिनियम से संबंधित होकर गंभीर प्रकृति का है, आवेदक/आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया तो वह साक्ष्य को प्रभावित करेगा, अतः उसका जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

केस डायरी का अवलोकन किया गया, जिससे प्रकट हो रहा है कि दिनांक-30/01/2017 के 23:41 बजे थाना गोहद चौराहा में आरोपी/आवेदक संदीप श्रीवास्तव अवैध रूप से 02 अदिया 315 बोर की एवं 02 पिस्टलें 32 बोर की रखे पाया गया। जिसपर से थाना के अप.क. 13/2017 धारा 25(1)(क), 27 आयुध अधिनियम तथा धारा 11/13 एम.पी.डी.पी.के. एक्ट के अपराध के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ।

जहां तक आरोपी/आवेदक संदीप श्रीवास्तव के अधिवक्ता द्वारा उनको गलत रूप से झूठा फंसाये जाने का आधार लिया गया है, वह गुणदोषों पर निराकरण के समय देखा जाना है, वर्तमान स्टेज पर इस संबंध में निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है एवं संकलित साक्ष्य के आधार पर आरोपी/आवेदक संदीप श्रीवास्तव के विरुद्ध धारा 11/13 एम.पी.डी.पी.के. एक्ट का अपराध होने से धारा 5 (2) का वर्जन होने से इस स्टेज पर आरोपी/आवेदक संदीप श्रीवास्तव को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आरोपी/आवेदक संदीप श्रीवास्तव की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फौ. वाद विचार गुणदोषों पर टीका टिप्पणी किए बिना **निरस्त किया जाता है।**

आदेश की प्रति के साथ केस डायरी वापिस की जावे।

विशेष न्यायाधीश (डकैती)  
गोहद जिला- भिण्ड (म.प्र.)

Date of  
Order or  
Proceeding

आरोपी/आवेदक  
संदीप श्रीवास्तव  
एम



# Order Sheet [Contd]

Case No. BA. 104. of 2017 . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>आदेश की प्रति बण्डल फाइल में संलग्न हो। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो।</p> <p>{पी०सी० आर्य}</p> <p>विशेष न्यायाधीश, डकैती गोहद जिला भिण्ड म.प्र.</p>	